



<p>आदेश का संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।</p>
<p>13/01/2022</p>	<p align="center">न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p align="center">एस० आर० पुनरीक्षण 41/2012</p> <p align="center">सुनैना देवी व अन्य बनाम राज्य</p> <p align="center">आदेश</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची के द्वारा अपील संख्या-142/R-2001-02 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत अपील दायर करने के बाद प्रथम सुनवाई पर ही आवेदक अपीलीय न्यायालय में अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात् अपीलीय न्यायालय में यह वाद 05 वर्षों तक संचालित रहा किन्तु अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण अंततः दिनांक-27.05.2006 को उपायुक्त द्वारा अपील आवेदन खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध 08 वर्षों के अवधि के पश्चात् दिनांक-26.08.2014 को यह पुनरीक्षण दायर किया गया, जिसमें अपने वृद्धता एवं बीमारी का हवाला देते हुये पुनरीक्षण अंगीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदन दायर करने के पश्चात् प्रथम तिथि से ही आवेदक इस न्यायालय से अनुपस्थित रहे। विगत 06 वर्षों से आवेदकों की अनुपस्थिति के कारण इस वाद में कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। स्पष्टतः आवेदक के इस कालबाधित पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है तथा आवेदक मात्र विभिन्न न्यायालय के प्रक्रिया का उपयोग करते हुये प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="right">  आयुक्त 13/1/22 </p> <p align="left">  आयुक्त 13/1/22 </p>	